

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 85 /2023- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर, 2023

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप- धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिस में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता (मै/से)	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै/ से गोल्डराइप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 1310, गाँव काशी, गगोल रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश	DRI/NRU/C1/26/Int-02/Enq-23/2021/1649-1658 दिनांक 21.12.2021	अपर/ संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ अपर/ संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, नोएडा कस्टम्स कमिशनरेट, आईसीडी- दादरी, गौतम बुद्ध नगर	अपर/ संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, नोएडा कस्टम्स कमिशनरेट, आईसीडी- दादरी, गौतम बुद्ध नगर

[फा° सं° 437/06/2021- सीमाशुल्क IV]

(आनंद राधाकृष्णन)
निदेशक (सीमाशुल्क)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

Notification No. 85 /2023-Customs (N.T.)

New Delhi, the 23rd of November, 2023

S.O.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with Section 3 and sub-sections (1) and (1A) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints the officer mentioned in column (4) of the Table below, to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table, for purpose of adjudication of the Show Cause Notice, mentioned in column No (2) of the said Table, in respect of the Noticee mentioned in column No (1) therein, namely:-

Table

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
M/s.Goldripe International Pvt. Ltd., Khasra No.1310, Village Kashi, Gagol Road, Meerut, Uttar Pradesh.	DRI/NRU/C1/26/Int-02/Enq-23/2021/1649-1658 dtd.21.12.2021	Additional/Joint Commissioner of Customs (Prev.), Kendriya Bhawan, Aliganj, Lucknow	Additional/Joint Commissioner of Noida Customs
		Additional/Joint Commissioner of Customs, Noida Customs Commissionerate, ICD-Dadri, Gautam Budh Nagar.	Commissionerate, ICD-Dadri, Gautam Budh Nagar.

[F. No.437/06/2021-Cus IV]

(Ananth Rathakrishnan)
Director (Customs)